



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

मैनुअल प्रकरण संख्या	55/2022
G.C.M.S. प्रकरण संख्या	2022/55
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	04.01.2022
निर्णय दिनांक	26.07.2022

उनवान

1 प्रभूलाल पि. भंवरलाल गूर्जर नि.डेगाणा तहसील आमेट जिला राजसमन्द

- प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

- अप्रार्थी

उपस्थित वकील प्रार्थी	श्री राधेश्याम पारीक
उपस्थित वकील अप्रार्थी / पैरोकार सरकार	पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

(1) प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र एवं तत्पश्चात संशोधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त रेकार्डेंड खातेदारी भूमि में आने-जाने बाबत् रास्ता रेकार्ड में दर्ज कराने की कृपा करावें। प्रार्थी की कृषि भूमि का विवरण निम्नानुसार है -

नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा
जनारड़ा	2076-79	38	31	0.18
			32	0.19
			33	2.55

(2) प्रार्थी अपनी उक्त आराजियात में आने-जाने हेतु अप्रार्थी की निम्न भूमि में से रास्ता चाहते है -

नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	स्वामित्व	भौगोलिक स्थिति
जनारड़ा	59	3.13	राजस्थान सरकार	प्रार्थी द्वारा सार्वजनिक रास्ते आ.नं.64 से होते हुये बिलानाम आ.नं.52,59 व 65 में से रास्ता चाहा गया है।
	52	0.90		
	65	0.24		

(3) प्रार्थी की आराजियात में आने-जाने का उक्त एक मात्र लघुत्तम व निकटतम रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदित रास्ता मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं है। आवेदक को खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है।

(4) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। सम्मन बाद तामील प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। भू.अ.निरीक्षक दौलतगढ़ की मौका रिपोर्ट दिनांक 08.03.2022 व संशोधित मौका रिपोर्ट दिनांक 26.07.2022 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

(5) वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील प्रार्थी / पैरोकार सरकार बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थी का कथन था कि प्रार्थी की कृषि भूमि में आने- जाने हेतु रास्ता नियमानुसार प्रतिकर के आधार पर दर्ज रेकार्ड करने का आदेश प्रदान किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है यही निकटतम रास्ता है। भू.अभिलेख निरीक्षक दौलतगढ़ द्वारा प्रस्तावित रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें। वकील अप्रार्थी / पैरोकार सरकार ने वक्त बहस कथन किया कि आवेदित भूमि में आने-जाने बाबत् रास्ते हेतु भू.अ.निरीक्षक दौलतगढ़ द्वारा प्रस्तुत की गयी संशोधित मौका रिपोर्ट सत्य होकर उन्ही के अनुरूप आदेश पारित करने में राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

(6) भू.अ.निरीक्षक दौलतगढ़ ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि आवेदक को खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है। आवेदित रास्ता मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता या उपाय उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित है।

(7) बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक दौलतगढ़ / पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता भू.अ.निरीक्षक दौलतगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक आवश्यक प्रतीत होने तथा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से एंव प्रार्थी द्वारा कृषि भूमि के लिये की गयी रास्ते की मांग इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से न्यायालय यह उचित समझता है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर आने-जाने के लिये भू.अ.निरीक्षक दौलतगढ़ द्वारा प्रस्तावित रास्ता दिया जावे ताकि प्रार्थी अपने खेतों पर आ-जा सके तथा कृषि कार्य कर सके। तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से यह आदेश सुनाया जाता है कि -

क्रियात्मक - आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के उपपंजीयक आसीन्द द्वारा निर्धारित की गयी भूमि प्रतिकर की राशि की दुगुनी राशि राजकोष में अमानत मद में जमा कराने बाबत् सहमत होने से भूमि प्रतिकर की राशि जमा होने के पश्चात मौका रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक दौलतगढ़ / संलग्न नक्शे के अनुसार निम्नांकित कृषि भूमि को अप्रार्थी के खाते की भूमि में से कम की जाकर बिलानाम सरकार गै.मु.रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा प्रार्थी से प्राप्त अमानत राशि का भुगतान अप्रार्थी को उनके खाते में से कम हुये रकबे के आधार पर उनके हक हिस्से के अनुपात में किये जाने के आदेश किये जाते हैं -

क्र.सं.	नाम ग्राम	आराजी नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर)	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा	प्रस्तावित रास्ते की भौगोलिक स्थिति	भूमि की D.L.C. दर प्रति हेक्टर	भूमि की कुल कीमत (5x7)	भूमि की दुगुनी कीमत जो राजकोष के अमानत मद में जमा करायी जानी है (8x2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जनारड़ा	59 52 65	3.13 0.90 0.24	0.3040 0.1536 0.0576	मौके पर प्रेवल सड़क विद्यमान है	176418	90891	181782

उक्त प्रकार से दर्ज किये गये गै.मु. रास्ते का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 26.07.2022 को खुली अदालत में सुनाया गया।


(संदीप कुमार)
सहायक सेशन जज (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / रीडर / 2022/147

दिनांक 27.7.2022

प्रतिलिपी:- तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार पालना करा पालना रिपोर्ट मय राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियों के प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा